

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

10न0 - 542/2025

नवान : -

1. सुनील कुमार पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

1. लिछमन पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. विद्या पत्नी लिछमणराम जाति जाट निवासी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. किरण पुत्री लिछमणराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ततारसर त0 व जिला श्रीगंगानगर ।
4. रेखा कुमारी पुत्री लिछमणराम पत्नी नरेश कुमार जाति जाट निवासी ततारसर त0 व जिला श्रीगंगानगर ।
5. कविता पुत्री लिछमणराम अरविन्द सहारण जाति जाट निवासी 35 एसटीजी त0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर वर्मा व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 7 जीजीआर के खाता सं० 75/50 की कुल 2.626 है। में प्रतिवादी सं० 1 के साथ-साथ वादी व प्रतिवादीया सं० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

क.वादी सुनील कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नं० 7 जीजीआर के प०न० 201 / 293 मु० 9 किलानं० 11 / 3 / 0.146, 11/5/ .012 है० गै०मु० खाला, 12 ता 15 /1. 012 है० कुल 1.170 है० मय गै०मु० आराजी ।

ख. प्रतिवादीया सं० 2 विद्या को प्राप्त आराजी :- चकनं० 7 जीजीआर के प०न० 205 / 294 मु० 14 किलानं० 16,15, प०न० 205 / 295 मु० 23 किलानं० 5,6, कुल 1.012 है० । इसी अनुसार चक 7 जीजीआर के खाता सं० 75/50 में प्रतिवादी सं० 1 लिछमन राम का हिस्सा कम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 16/01/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण आर.एस.)  
पदेन सहायक कलेक्टर R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़